NATIONAL ALLIANCE OF PEOPLE'S MOVEMENTS

National Office : A Wing First Floor, Haji Habib Building, Naigaon Cross Road
Dadar (E), Mumbai – 400 014. Phone - 9969363065;
Delhi Office : 6/6 jangpura B, New Delhi – 110 014 . Phone : 9818905316
E-mail: napmindia@napm-india.org | Web : www.napm-india.org

मई २२, १९५८ को **सैन्य सुरक्षा विशेषाधिकार कानून** जिसका उपयोग कभी महात्मा गाँधी के खिलाफ किया गया था को अस्सम के नागा बहुल क्षेत्रों (जो की बाद में चार राज्यों में विभाजित हो गया) में आज़ादी के बाद पहली बार लगे गया जिसे की बाद में मिजोरम और मणिपुर के कुछ और अंततःपूरे मणिपुर में लगाया गया. उसके बाद से AFSPA अरुणचल प्रदेश, अस्सम, मणिपुर, मेद्गाहालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर (१९९१) के पूरा या थोड़े हिस्से में समय दर समाया लगाया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट के १९९७ के निर्णय के बाद से छह महीने के बाद से लगातार इसका लागू रहना गैरकानूनी है, फिर भी यह कानून आज तक लागू है.

AFSPA राज्य के हाथ में एक बहुत ही खतरनाक दमन का यन्त्र है जो की केंद्रीय बलों के जवान को यह शक्ति देता है की सिर्फ संदेह के आधार पर वह किसी को गोली मार सकता है और उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की जायेगी, क्योंकि उसने यह काम ड्यूटी पर किया. इस प्रावधान के कारण इन क्षेत्रों में अनेकों लोगों को यातनाएं झेलनी और जान गवानी पड़ी है. इसके कारण इन क्षेत्रों का गहन सशस्त्रीकरण हुआ है और लोगों की सामाजिक और राजनातिक हकों की गंभीर रूप से अवहेलना हुई है. लोगों की हत्या, बलात्कार, लापता हो जाना, शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणा, औरतों के साथ अन्य तरह की यौनिक हिंसा, गैरकानूनी गिरफ्तारियां और कभी कभी नरसंहार हुआ है. पूरी तरह से एक बिलकुल सैन्य माहौल जिसमे सरकार की राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति का पूर्ण पतन और लोगों के मुलभुत अधिकार यहाँ तक की कई बार मूलभूत सुविधाएँ जैसे के शिक्षा, स्वस्थ्य, पानी, रासन, पानी और जीविका के अन्य साधन भी नहीं मुहैया हो पाए पाते हैं. ९/११ के बाद तो समाज का और सशस्त्रीकरण कई अन्य मायने में भी चिंता का कारण है और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि की पुरे दक्षिण एशिया के लिया है.

यह कानून अंग्रेजी सरकार के द्वारा १९४२ के आन्दोलन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किये कानूनों से भी घातक है. आतंकवाद को खतम करने के नाम पर इस कानून ने और आतंकवाद को बढ़ाया ही है और लोगों के मानवाधिकारों के हनन को कानूनी जमा पहनया है. हजारों युवा पुरुष और स्त्रियां उत्तर पूर्व के राज्यों और जम्मू और कश्मीर में सैन्य हिंसा के शिकार हुए है और अपनी जान और इज्जत गवाईं हैं. कई लोग तो आज भी लापता हैं. इन राज्यों के और देश के बहुत सारे जनवादी आंदोलनों ने बहुत समय से इस कानून को रद्द करने और सेना को हटाने की गुहार सरकार से लगायी है. Movement. जनतांत्रिक मूल्यों के बहाली के लिए चल रहे हमारे संघर्षों की कड़ी में जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय उत्तर पूर्व एव, जम्मू और कश्मीर के जनवादी आंदोलनों के संघर्ष में शामिल होते हुए **भारत सरकार से यह अपील करता है :**

१. तुरत से तुरत सैन्य सुरक्षा विशेषाधिकार कानून, १९५८ और जम्मू और कश्मीर सैन्य सुरक्षा विशेषाधिकार कानून, १९९० को रद्द किया जाए.

२. यह कानून रद्द करने के बाद इसे किसी और रूप में इसके प्रावधानों को किसी दूसरे कानून में शामिल नहीं किया जाए जो की राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार दे.

३. तुरत से तुरत केंद्र की सरकार एक ऐसी प्रक्रिया चलाये जिससे सेना धीरे धीरे उत्तर पूर्व और जम्मू और कश्मीर से वापस बुलाई जा सके और सामान्य शासन व्यवस्था बहाल की जा सके.

ऐसा नहीं है की इस कानून को रद्द करने की मांग सिर्फ जन आंदोलन और मानवाधिकार समूह ही कर रहे हैं. सरकार की अपने कई समितिओं और आयोगों ने यह सुझाव समय समय पर दिए हैं. इसमें हाल में बी पी जीवन रेड्डी आयोग, २००५ एवं वीरप्पा मोइली के प्रशासनिक सुधार आयोग २००७, ने इस कानून के हो रहे दुरोपयोग के बारे में बात रखी है और इन क्षेत्रों से AFSPA को तुरत हटाने की अनुशंशा की है. संयुक्त राष्ट्र संघ की कई संस्थाओं ने भी इस बात की अनुशंशा की है लेकिन इन सबके वावजूद, आज भी यह कानून लागू है और लोग इसके शिकार हो रहे हैं.

हजारों लाखो लोगों के संघर्ष के साथ ही **इरोम शर्मीला** का असीम संघर्ष भी शामिल है. पिछले दस वर्षों से इरोम अनशन कर रही हैं इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर. चार नवंबर को ११ वर्ष पूरे हो जायेंगे. सरकार उनको एक पीपे के सहारे जबरदस्ती तरल पदार्थ देती है और आत्महत्या के आरोप में एक अस्पताल में बंदी बना कर रखती है. जहाँ पर वह किसी से भी सरकार के उच्च अधिकारीयों के अनुमति के बिना मुलाकात भी नहीं कर सकती, यहाँ तक की अपने परिवार के सदस्यों से भी अपनी मर्जी से नहीं मिल सकती. गाँधी के देश में अहिंसक विरोध को भी वह सम्मान प्राप्त नहीं, यह निहायत ही शर्म की बात है. इरोम का संघर्ष जारी है और साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों और जम्मू और कश्मीर के जनवादी आंदोलनों का भी. हम देश के सभी जागरूक समाज, जनता और आंदोलनों से यह अपील करते हैं वो भी इस संघर्ष में शामिल हो और भारत सरकार पर यह दवाब बनाये ताकि यह कानून तुरत रद्द हो सके.

इन्ही प्रयासों में २ अक्टूबर से १० दिसम्बर तक पूरे देश में जगह जगह पर विभिन्न संगठन मिल कर कई कार्यक्रम कर रहे हैं. हम AFSPA को रद्द करने की मांग को लेकर दस लाख हस्ताक्षर इकठा कर रहे हैं, जो की १० दिसम्बर को भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापित किया जायेगा. आइये इस संघर्ष में जुडिये ताकि AFSPA के साथ साथ UAPA, MCOCA, CSPSA और बाकी अन्य दमनकारी कानूनों को रद्द कर जनतंत्र को बहाल किया जा सके.

आइये इस अभियान में जुड़े ! ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें *napmindia@napm-india.org* *पर लिखे या 9818905316 पर फोन करें.*